इकाई 4 विकलाँगता/ दिव्याँगता क्षेत्र में परामर्श

संरचना

4.0 उद्देश्य

4.1 प्रस्तावना

4.2 परामर्श क्या है ?

4.3 दिव्याँगता के क्षेत्र में अभिभावक–परामर्श का महत्त्व

4.4 अभिभावक–समूह परामर्श

4.5 आनुवांशिकी विषयक परामर्श

4.6 सारांश

4.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें और संदर्भ

4.0 उद्देश्य

इस इकाई के अंत तक, आपकों सक्षम होना चाहिए:

- दिव्याँगता के क्षेत्र में परामर्श के महत्त्व को समझना;
- दिव्याँगता के क्षेत्र में व्यवहार परामर्श हेतु दक्षता संवर्धन करना;
- अभिभावक परामर्श के विषय में दक्षताएँ तथा ज्ञान प्रदान करना;
- दिव्याँग व्यक्तियों के साथ कार्य करने हेतु ज्ञान तथा दक्षताओं के बारे में जानना;
- दिव्याँगता के क्षेत्र में अभिभावक परामर्श के अनुपयोग का ज्ञान तथा दक्षताएँ प्राप्त करना;
- दिव्याँगता के क्षेत्र में परामर्श के बारे में रचनात्मक दृष्टिकोणों का निर्माण करना; तथा
- अनुवांशिकी परामर्श में ज्ञान तथा दक्षताएँ प्राप्त करना।

4.1 प्रस्तावना

परामर्श एक सहायक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य सामाजिक क्रिया प्रणाली में समस्याग्रस्त व्यक्तियों अथवा ऐसे व्यक्ति, जो नई जीवन स्थितियों का सामना कर रहे हैं उन्हें मार्गदर्शन तथा सहयोग प्रदान करना है। उन्हें अपनी भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों में एक परिवर्तन लाने की आवश्यकता होती है। परामर्श लक्ष्यों को परिभाषित करने, आवश्यक सामाजिक दक्षताएँ प्राप्त करने तथा वांछित नए व्यवहार को क्रियान्वित करने हेतु साहस तथा आत्म–विश्वास का विकास करने में भी सहायता करता है।

''बोरडिन के अनुसार, परामर्श, साक्षात्कार मीडिया के द्वारा एक व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान करने में सहायता करने की प्रक्रिया है''।

4.2 परामर्श क्या है ?

परामर्श का तात्पर्य भिन्न व्यक्तियों हेतु भिन्न होता है। यह शब्द एक कप चाय पीने तथा बात करने से लेकर एक हफ्ते में तीन बार एक मनोचिकित्सक से मिलने तक प्रयोग किया जाता

है। यही कारण है कि हमने इस भाग को यह स्पष्ट करने के लिए लिखा है कि जब हम परामर्श के बारे में बात करते हैं हमारा क्या तात्पर्य होता है।

परामर्श किन्हीं समस्याओं, जो भावनात्मक कठिनाई के कारण उत्पन्न हो सकती है, का सामना करने का अधिक प्रभावी तरीका खोजने में सहायता करने का एक तरीका है। इसे एक दिव्याँग बालक वाले अथवा दिव्याँग व्यक्तियों वाले परिवारों की निर्णय करने अथवा जीवन में परिवर्तन करने जैसे सम्बन्धों में अथवा कार्य में, सहायता करने हेतु भी प्रयोग किया जा सकता है।

एक परिवार की सामना करने की प्रक्रिया के चार चरण

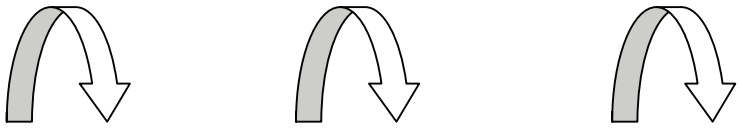

स्वप्न बालक | स्वीकृति चरण | ''मेरे साथ ही क्यों'' चरण | शौक चरण

परामर्श एक सुझाव नहीं है, वरन् यह दिव्याँग वाले परिवारों में एक सुरक्षित तथा आत्म–विश्वासपूर्ण वातावरण प्रदान करने का प्रावधान है, जिसमें दिव्याँग बालक किसी तरह के निर्णयात्मकता के बिना भावनाओं तथा विकल्पों का अन्वेषण कर सकता है। परामर्श दिव्याँग व्यक्तियों वाले परिवारों को नए लक्ष्यों हेतु अग्रसर करने में, तथा इन मुद्दों का, जिनका प्रबन्धन करना मुश्किल जान पड़ता है, का सामना करने के अधिक प्रभावी तरीकों का विकास करने में सहायता कर सकता है।

वाचन तथा श्रवण

हमारे जीवन में कितने ही अवसर ऐसे आते है, जब हम सबको वास्तव में यह प्रतीत हो सकता है कि हमारी बात सुनने वाला कोई होना चाहिए। परामर्श, आधारभूत रूप से यही हैः एक ऐसा व्यक्ति, जो कि दिव्याँग बालक वाले परिवारों की बात सुनता है। यह अनुभव करना कि हमें ध्यानपूर्वक सुना जा रहा है, दिव्याँग बालक वाले परिवारों हेतु वास्तविक रूप से महत्त्वपूर्ण हो सकता है। दिव्याँगता वाले बालकों के परिवार सभी उपचारों तथा चिकित्सकों के पास जाने के बीच स्वयं को कुछ हद तक टूटा हुआ महसूस कर सकते हैं तथा वे सम्भवतः इसे अपनाने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं कि उनका बालक दिव्याँग है।

वास्तव में, हममें से अनेक व्यक्तियों की बात सुनने वाले ऐसे व्यक्ति, जो प्रायः प्रतिदिन हमारी चिंताओं तथा समस्याओं को सुनते हैं–हमारे मित्र, एक धार्मिक नेता अथवा एक देखभाल करने वाला पड़ोसी हो सकता है। परन्तु कभी–कभी दिव्याँग बालक वाले परिवारों हेतु इतना पर्याप्त नहीं होता। कभी–कभी, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना इतना आसान होता है, जो दिव्याँगता वाले व्यक्ति के परिवारों को नहीं जानता। जितनी गम्भीर बातें दिव्याँग बालक वाले परिवारों को करनी होती है, उतना ही इस तथ्य के सत्य होने की सम्भावना बढ़ जाती है। एक ऐसे परामर्शदाता से बात करने के विभिन्न लाभ होते हैं, जो परिवार के पारिवारिक तथा मित्रों के निकटस्थ घेरे से बाहर होता है।

दिव्याँगता क्षेत्र में अच्छा परामर्शदाता कौन है ?

यदि दिव्याँगता वाले व्यक्तियों के पास पेशेवर सहायता प्राप्त करने हेतु महत्त्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन्हें पेशेवर सहायता प्राप्त करने से पूर्व निम्नलिखित तथ्यों के बारे में जानना चाहिए।

- क्या परामर्शदाता ने उचित मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त किए हैं?

- क्या परामर्शदाता ''व्यवहार की संहिता'' के अनुसार कार्य करता है ?
- क्या परामर्शदाता के पास पेशेवर क्लीनिकल पर्यवेक्षण करने की योग्यता है?
- क्या परामर्शदाता स्वयं को अधुनातन करने हेतु नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त करता है ?

प्रशिक्षण

यदि दिव्याँग बालक वाले परिवारों के परामर्शदाता ने स्वीकृत पाठ्यक्रम पूर्ण किया है, जब दिव्याँग बालक वाले परिवार को यह मान लेना चाहिए कि ऐसे परामर्शदाता के पास दिव्याँग बालक अथवा व्यक्तियों वाले परिवारों की सहायता करने हेतु आवश्यक दक्षताएँ मौजूद होती है।

संहिता अथवा व्यवहार

''व्यवहार की एक संहिता'' से तात्पर्य है कि परामर्शदाता को कुछ मानकों का पालन करना है। व्यवहारों हेतु विभिन्न संहिताएँ होती है। उदाहरण के लिए ऐसे परामर्शदाता, जो कि ब्रिटिश एसोसिएषन ऑफ काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त हैं उन्हें उनकी व्यवहार संहिताओं का पालन करना होता है। इस संहिता में गोपनीयता जैसे तत्त्वों को सम्मिलित करने के साथ–साथ प्रशिक्षण तथा पर्यवेक्षण जैसे अन्य बिन्दुओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। अन्य पेशेवरों की अपनी संहिताएँ होगी, जिनकें बारे में दिव्याँग बालक वाले परिवार जानने की इच्छा रख सकते हैं।

चिकित्सीय पर्यवेक्षण

वास्तव में परामर्शदाता को अपने मुवक्किल की समस्याओं से अलग रहना आवश्यक होता है। इससे तात्पर्य है कि परामर्शदाता अन्य पेशेवर परामर्शदाताओं अथवा चिकित्सक से इसके बारे में बात करने के लिए मिलता है कि उसका कार्य कैसे चल रहा है। पर्यवेक्षक परामर्शदाता की उन ज्ञात तत्त्वों के बारे में अपने मस्तिष्क को खुला रखने में सहायता कर सकता है, जिनसे दिव्याँग बालक अथवा व्यक्तियों वाला परिवार जूझ रहे हैं।

सतत् प्रशिक्षण

नियमित प्रशिक्षण एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है क्योंकि इसका तात्पर्य है कि परामर्शदाता हमेशा इसमें सुधार करने का प्रयास कर रहा है कि वे अपने कार्य में सुधार कैसे कर सकते हैं। अपनी दक्षताओं को अद्यतन रखना तथा नई दक्षताएँ सीखना, परामर्श देते समय दिव्याँग बालक वाले परिवारों की सहायता कर सकता है।

परामर्श प्राप्त करना क्या है

एक परामर्शदाता से परामर्श प्राप्त करते समय कुछ महत्त्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी होती हैं:

- परामर्श लेना कमजोरी की निशानी नहीं है;
- इसका तात्पर्य यह नहीं है कि दिव्याँग बालक अथवा व्यक्तियों वाले परिवार इन परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते;
- इसका तात्पर्य यह नहीं है कि दिव्याँग बालक अथवा व्यक्तियों वाले परिवार 'टूटने' अथवा ''पागल होने'' जा रहे हैं।

दिव्याँगता के साथ जीने का भावनात्मक दबाव अत्यधिक गम्भीर हो सकता है कभी–कभी यह भावना अत्यधिक तीव्र हो सकती है। परामर्शदाता के साथ बात करने से दिव्याँग बालक वाले परिवारों को इस बारे में बात करने का अवसर प्राप्त होता है, जो वह वास्तव में अनुभव कर रहे होते हैं।

दिव्याँगता के क्षेत्र में परामर्श के उद्देश्य तथा लक्ष्य

1. परामर्श का मुख्य उद्देश्य प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के द्वारा अपनी समस्याओं के सम्बन्ध में व्यक्ति को सामंजस्य का एक सन्तुष्टिदायक स्तर प्रदान करना है।
2. विकलाँगता व्यक्ति की जीवन परिस्थितियों की बेहतर समझ, स्वीकषति तथा सामंजस्य स्थापित करना।
3. एक व्यक्ति को अपनी विभिन्न जीवन परिस्थितियों का अधिक प्रभावी तथा सन्तुष्टिदायक रूप से सामना करने हेतु सुसज्जित करना।
4. परामर्श एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने हेतु निर्देशित होता है।
5. यह ऐसी समस्या हेतु, जिसका समाधान नहीं किया जा सकता, भी बेहतर तथा कभी–कभी नई अर्न्तदृष्टि प्रदान करने में सहायता करता है।

परामर्श की आवश्यकता

अनेक व्यक्ति व्यक्तिगत संसाधनों, मित्रों तथा परिवार अथवा धार्मिक विश्वास का उपयोग करके जीवन चुनौतियों हेतु अनुकूलन करते हैं, परन्तु कभी–कभी चुनौतियाँ इतनी तीव्र हो जाती हैं कि इन संसाधनों से भी उनसे छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। दक्षतापूर्ण सहायक (परामर्शदाता) इन चुनौतियों हेतु विकास तथा अनुकूलन की प्रक्रिया की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

मानसिक रूप से बाधित बालकों अथवा व्यक्तियों के क्षेत्र में, परामर्श अभिभावकों की सहायता करने का एक माध्यम है ताकि अभिभावक अपने भावात्मक अन्तःक्रिया सन्तुलन को बनाए रख सकें, अपनी मनोवृतियों को परिवर्तित कर सके तथा अपने पैटर्न में सुधार कर सकें, जिससे कि यह सम्पूर्ण परिवार की क्रियात्मकता तथा प्रसन्नता पर कम–से–कम प्रभाव डाल सके।

परामर्श के लक्ष्य

1. सामना करने की दक्षताओं में सवंर्धन करना
2. व्यवहार परिवर्तन हेतु सुगमता करना
3. सम्बन्धों में सुधार करना
4. निर्णय करने की संभाव्यता को बढ़ावा देना
5. मुवक्किल के गुणात्मक तथा मात्रात्मक, दोनों प्रकार के सम्भावित विकास को सुगम बनाना।

परामर्श के चरण

1. सम्बन्ध स्थापित करना
2. समस्या का आँकलन करना

3. लक्ष्य स्थापन
4. अन्तःक्षेप प्रवर्तन
5. समाप्ति तथा अनुसरण।

परामर्श परिस्थिति की विशेषताएँ

1. सुरक्षित
2. सुनिश्चित
3. गर्मजोशी से परिपूर्ण
4. अनिर्णयात्मकता
5. अचुनौतीकारी
6. अन्तःवैयक्तिक दशाओं में गोपनीय

विशेष रूप से दिव्याँगता के क्षेत्र में प्रभावी परामर्शदाता की योग्यताएँ

1. मस्तिष्क का खुलापन
2. अनुभूतिजन्यता
3. निर्णयात्मक दृष्टिकोण
4. संवेदनशीलता
5. समानुभूति
6. वस्तुनिष्ठता
7. ईमानदारी
8. अ–प्रभुत्ववादिता
9. श्रवण क्षमता
10. सकारात्मक सम्मान
11. प्रभावी सम्प्रेषण दक्षताएँ, जो सुरक्षा, विश्वास तथा साहस को उत्पन्न करती हैं
12. आत्म–ज्ञान तथा आत्म–सम्मान

दिव्याँगता के क्षेत्र में परामर्श का फोकस होना चाहिएः

- उनकी भिन्न शक्तियों पर
- उनकी क्षमताओं पर
- उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्वों पर
- उनकी विशेष आवश्यकताओं पर
- उनके आत्म–सम्मान उत्पन्न करने पर

- उनकी सम्भावनाओं के उच्चतम सीमाओं के विकास करने पर
- उन्हें अपनी सीमाएँ स्वीकार करने हेतु सहायता करना
- पारिवारिक/ सामाजिक/ संस्थागत सहयोग प्राप्त करने हेतु सहायता करना
- स्वयं सहायता दक्षता सीखना
- दया अस्वीकार करने हेतु सहायता करना, सामाजिक दक्षताओं का विकास करने हेतु सहायता करना
- अकादमिक दक्षताएँ प्राप्त करने हेतु सहायता करना
- आत्मनिर्भरता का मूल्य सिखाना
- सुरक्षित अनुभव करने हेतु भावनात्मक सहयोग प्रदान करना
- व्यावसायिक दक्षताओं में प्रशिक्षण, जिसमें आजीविका सम्भावनाएँ विद्यमान है
- उनकी यौनिकता को एक उचित तथा सामाजिक रूप से स्वीकार करने योग्य तरीके से सम्भालने में सहायता करना
- दिव्याँग के परिवार को भी परामर्श देना चाहिए

बोध प्रश्न–I

टिप्पणीः उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

1. एक परिवार का सामना करने की प्रक्रिया के चार चरण कौन से होते हैं ?

   .....

   .....

   .....

   .....

2. परामर्श के कौन से चरण है ?

   .....

   .....

   .....

   .....

4.3 दिव्याँगता के क्षेत्र में अभिभावक परामर्श का महत्व

सभी अभिभावकों की इच्छा एक स्वास्थ्य तथा सामान्य बालक की होती है, यद्यपि जब एक दिव्याँग बालक जन्म लेता है, अभिभावकों की सारी उम्मीदें बिखर जाती हैं। यह एक जीवन पर्यन्त सामंजस्य की माँग करता है। अनेक अभिभावक, इस तथ्य के प्रति जागरूक नहीं होते कि यदि एक दिव्याँग बालक को उचित प्रशिक्षण तथा शिक्षा प्रदान की जाती है, वह क्या प्राप्त कर सकता है। एक परिस्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में अभिभावकों की सहायता करने हेतु, परामर्श सम्पूर्ण प्रबन्धन योजना के एक भाग के रूप में अनिवार्य होता है। इसका उद्देश्य बालक की समस्याओं को समझने तथा स्वीकार करने में अभिभावकों की सहायता करना है। यह

मानसिक रूप से बाधित व्यक्ति की क्षमता हेतु उपयुक्त योजना बनाने में भी उनकी सहायता करता है।

परामर्श का फोकस बालक अथवा दिव्याँग व्यक्ति और उसके परिवार की वैयक्तिक आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। दिव्याँग बालक अथवा वैयक्तिक के अभिभावकों के परामर्श के निम्नलिखित चरण होते हैं:

चरण 1: बालक की दशा के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करना

- अभिभावकों को सरल शब्दों में बालक की वास्तविक दशा के बारे में बताया जाना चाहिए।
- परामर्श देते समय पर्याप्त समय प्रदान करना चाहिए।
- गुमराह करने, झूठी जानकारी देने अथवा अभिभावकों में झूठी उम्मीदें जगाने से बचना चाहिए।
- दिव्याँगता से जुड़ी अन्य दशाओं जैसे दौरे पड़ना, अति सक्रियता अथवा अन्य अक्षमताओं का उपचार करने हेतु अभिभावकों को पेशेवर सहायता से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए।

चरण 2: दिव्याँग बालक हेतु सही दृष्टिकोण का विकास करने में अभिभावकों की सहायता:

अनेक बार बालक की दिव्याँग दशा के कारण तथा प्रबन्धन से सम्बन्धित अभिभावकों के विश्वास, दृष्टिकोण तथा विचार गलत होते हैं। यह विशेष रूप से मानसिक रूप से बाधित बालकों के साथ सत्य होता है, क्योंकि बालक प्रायः सामान्य नजर आता है तथा सामान्य रूप से व्यवहार करता है। जागरूकता के अभाव के कारण, अभिभावकों की प्रवृति यह विश्वास करने की होती है कि बालक समय के साथ सामान्य हो जाएगा। कुछ अभिभावक एक दूसरे को ऐसे कारणों के बारे में जानकारी के अभाव के कारण, ऐसे बालक के जन्म लेने हेतु उत्तरदायी ठहराते है। कुछ अभिभावक अपने बालक की दशा हेतु चिकित्सीय, शल्यक्रिया अथवा जादू–टोने जैसे उपाय कराते हैं। कुछ यहां तक सोच लेते हैं कि ऐसे बालक हेतु कुछ नहीं किया जा सकता।

- परामर्शदाता को दिव्याँग बालक अथवा व्यक्तियों की प्रकृति, कारण तथा प्रबन्धन हेतु सटीक जानकारी प्रदान करनी चाहिए। उसे अन्य दिव्याँग व्यक्तियों के उदाहरण प्रदान करने चाहिए तथा उन्हें यह बताना चाहिए कि वे किस प्रकार अपनी दिव्याँगता के साथ सहज जीवन जी रहे हैं।
- कुछ अभिभावक अपने दिव्याँग बालक हेतु दोषपूर्ण दृष्टिकोण रखते हैं। यह अत्यधिक सुरक्षा अथवा अस्वीकार के कारण हो सकते हैं।
- अत्यधिक सुरक्षा का दृष्टिकोण अर्थात् किसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति से बालक की रक्षा करना तथा/ अथवा बालक के पूर्ण रूप से प्रयास करने से पहले ही उसके लिए प्रायः सब कुछ कर देना, इसमें सुधार किया जाना चाहिए क्योंकि यह बालक की, जो क्षमताएँ है, उनका विकास होने से रोकता है।
- अस्वीकार के दृष्टिकोण से तात्पर्य है–यह सोचना कि बालक कुछ भी नहीं कर सकता तथा उसकी उपेक्षा करना। इस दृष्टिकोण को बदलना चाहिए ताकि बालक की व्यवस्थित प्रशिक्षण द्वारा सीखने में सहायता की जा सके।

- कुछ अभिभावक बालक पर, यह अपेक्षा रखते हुए कि वह अपनी क्षमताओं से अधिक सीखेगा अथवा प्राप्त करेगा, अत्यधिक दबाव डालते हैं। इससे बालक में कुण्ठा तथा असफलता उत्पन्न हो सकती है। अभिभावकों को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए कि वे अपने बालक से किन सक्षमताओं की अपेक्षा कर सकते हैं।

- कुछ अभिभावक इस ग्लानिपूर्ण भावनाओं से कष्ट उठाते हैं कि वे अपने बालक की दशा हेतु उत्तरदायी हैं। अभिभावकों को यह समझाया जाना चाहिए कि उनके बालक की दशा सामान्य रूप से उन कारणों के कारण है, जिस पर अभिभावकों का कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है।

चरण 3: बालक को प्रशिक्षित करने में अभिभावकों में उनकी भूमिका से सम्बन्धित जागरूकता उत्पन्न करना।

एक बार जब अभिभावक अपने बालक को परामर्श हेतु लाते हैं, उनकी प्रवृति यह विश्वास करने की होती है कि बालक का प्रबन्धन उन व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा, जो दिव्याँग व्यक्तियों हेतु कार्य कर रहे हैं। परामर्शदाता को बालक के प्रशिक्षण में अभिभावकों तथा अन्य पारिवारिक सदस्यों की प्रभाव क्षमता तथा भूमिका के बारे में बताया जाना चाहिए।

- कुछ अभिभावकों की यह मान्यता होती है कि मानसिक रूप से बाधित बालक को प्रशिक्षण देने में विशेषीकृत दक्षता देने की आवश्यकता होती है तथा वे अपने बालक को प्रशिक्षण देने में योग्य नहीं हो सकते। अभिभावकों को इस बारे में जागरूक करना चाहिए कि एक मानसिक रूप से बाधित बालक के प्रशिक्षण हेतु जटिल दक्षताओं की आवश्यकता नहीं होती तथा सरल चरणों में प्रशिक्षण को दोहराने से मानसिक रूप से बाधित बालक सीख सकता है।

- मानसिक रूप से बाधित बालक, जिनकी सहायता की जा रही है, के अभिभावकों की उन मानसिक रूप से बाधित बालकों, जिनकी दिव्याँगता की अभी पहचान हुई है, के अभिभावकों से मुलाकात निश्चय ही सहायक होंगें। यह उन्हें पारस्परिक सहायता हेतु भी अवसर प्रदान करेगा।

- अभिभावकों को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि किस प्रकार उनके प्रशिक्षण ने कुछ दक्षताओं को प्राप्त करने में बालक की सहायता की है। यह अभिभावकों में सफलता की भावना का विकास करेगा, जिससे वे अपने मानसिक रूप से बाधित बालक के प्रशिक्षण में और अधिक संलग्न होंगें।

एक प्रभावी परामर्शदाता होने हेतु कुछ दक्षताएँ तथा विशेषता होनी चाहिए। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैः

1. सत्यता/ ईमानदारी

एक सफल परामर्शदाता की मूल योग्यता उसकी ईमानदारी होती है, जिसके द्वारा वह मुवक्किल की सहायता करना चाहता है। जिससे मुवक्किल में विश्वास तथा भरोसा उत्पन्न होता है। ऐसी परिस्थिति में अभिभावक सहजतापूर्ण ढंग से वे सभी समस्याएँ लेकर आएँगे, जिनका वे दिव्याँग बालक के साथ सामना कर रहे हैं। यह अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है कि परामर्शदाता को मुवक्किल तथा पारिवारिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी को गोपनीय रखना चाहिए। परामर्शदाता को मुवक्किल के प्रति बिना शर्त के सम्मान भाव रखना चाहिए तथा उसके प्रति पूर्वाग्रह मुक्त व्यवहार होना चाहिए।

2. आश्वासन

अभिभावकों को यह अनुभव कराना आवश्यक है कि परामर्शदाता उन्हें तथा उनके द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को समझता है। उसे अभिभावक, जो कहते हैं उसे धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए, भले ही यह जानकारी महत्त्वहीन प्रतीत होती है। ऐसे समय में उसे अभिभावकों को झूठी उम्मीदें प्रदान करने के प्रति सावधान होना चाहिए। एक प्रभावी परामर्शदाता मुवक्किल को, परामर्शदाता के प्रति आश्वासत होने तथा विश्वास कराने का अनुभव कराएगा।

3. प्रभावी सम्प्रेषण

परामर्श देते समय सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए तथा तकनीकी शब्दों की उपेक्षा की जानी चाहिए। परामर्श का उद्देश्य असफल हो जाएगा यदि अभिभावकों को जो सम्प्रेषित किया जा रहा है वे उसका अनुसरण करने में असमर्थ हैं। मुवक्किल की दशा तथा उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं के बारे में ईमानदारीपूर्ण जानकारी स्पष्ट रूप से सम्प्रेषित करनी चाहिए। यद्यपि, प्रबन्धन से सम्बन्धित अंतिम निर्णय अभिभावकों की इच्छा पर छोड़ देनी चाहिए।

4. भावात्मक स्थिरता

जब अभिभावक को यह पता चलता है कि उनका बालक सामान्य नहीं हो पाएगा वे कुण्ठित हो सकते हैं। वे टूट सकते हैं अथवा परामर्शदाता के प्रति उग्र हो सकते हैं। परामर्शदाता को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए तथा अभिभावकों की उग्र भावना के प्रति प्रतिकूल रूप से व्यवहार नहीं करना चाहिए। परामर्शदाता को यह समझना चाहिए कि अभिभावक परामर्शदाता से नहीं वरन्, जिस परिस्थिति का सामना कर रहें हैं उससे रुष्ट हैं तथा इस परिस्थिति के बारे में जानकर उत्पन्न होने वाली अपनी भावनाओं को बाहर निकाल रहे हैं। दूसरी ओर, परामर्शदाता को अभिभावक को उस चिंता तथा कुण्ठा से मुक्ति का अनुभव कराना चाहिए; जिसे वे लम्बे समय से अनुभव कर रहे हैं।

दिव्याँग व्यक्ति वाले परिवार के परामर्श का उद्देश्य होना चाहिए;

- दिव्याँग की सीमाओं को स्वीकार करना।
- दिव्याँग व्यक्ति के अनुसार पारिवारिक समय का प्रबन्धन करना।
- दिव्याँग व्यक्ति के रख–रखाव हेतु आर्थिक प्रबन्धन करना।
- परिस्थिति द्वारा उत्पन्न तनाव का सामना करना।
- अयोग्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में लचीलापन तथा सहिष्णुता सीखना।
- दिव्याँग सदस्य की अक्षमता के कारण उत्पन्न सामाजिक समस्याओं/ मुद्दों का प्रबन्धन करना।
- दिव्याँग व्यक्ति की भावनाओं का सामना करना सीखना।
- दिव्याँग सदस्य के विकास तथा कल्याण हेतु सच्ची समानुभूति तथा सरोकार विकसित करना।
- सीमाओं के बावजूद, व्यक्ति तथा पर्यावरण हेतु एक सकारात्मक उन्मुखीकरण करना।
- दिव्याँग व्यक्ति को अधिकतम सम्भव प्रकटीकरण तथा अवसर प्रदान करना।
- ग्लानि तथा श्रम की भावना की अपेक्षा करना।

- नकारात्मक तथा निराशावादी दृष्टिकोण पर विजय प्राप्त करना।
- उन छोटे मुद्दों की पहचान करना, जो कि परिवारों हेतु महत्त्वपूर्ण है।
- एक दूसरे के साथ सम्वद्धता की गतिशीलता को नए आयाम प्रदान करने का आनंद लेना।
- यह सोचना तथा अनुभव करना कि चीजे भिन्न हैं अथवा बुरी नहीं।

अभिभावकों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न गलतफहमियां, वे अशुद्व विचार होते हैं, जो किसी दशा के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति द्वारा रखे जाते हैं। ऐसी गलतफहमियाँ मानसिक रूप से बाधित बालकों के अभिभावकों अथवा मानसिक मन्दन/ बाधा के विषय में सामान्य मत में पाई जा सकती हैं।

मानसिक रूप से बाधित बालक की समस्याओं का प्रबन्धन करने हेतु अभिभावकों द्वारा किए गए उपाय उन विचारों पर निर्भर करेंगें, जो वे उस दशा के बारे में रखते हैं। मानसिक रूप से बाधित बालक के प्रशिक्षण में अभिभावकों से प्राप्त होने वाले सहयोग की मात्रा, अभिभावकों की मानसिक मन्दन के विषय में सही जानकारी की मात्रा से सम्बन्धित होती है। कतिपय प्रश्न, जो कि अभिभावक मानसिक मन्दन के बारे में पूछते हैं तथा उनके उत्तर निम्नलिखित हैं:

1. क्या मानसिक मन्दन मानसिक बीमारी के सम्मान है ?

नहीं, मानसिक रूप से बाधित व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार नहीं होते हैं। मानसिक रूप से बाधित व्यक्तियों का विकास केवल धीमा होता है। इसलिए वे मंदबुद्धि होते हैं तथा समझने में धीमें होते हैं एवं रोजमर्रा के जीवन हेतु आवश्यक विभिन्न दक्षताओं को सीखने में कठिनाई होती है। आमतौर पर उन्हें बोलने में कठिनाई होती है उनमें से कुछ पांचवी कक्षा तक शिक्षित हो सकते हैं, जबकि अन्य इस स्तर पर भी नहीं पहुँच सकते हैं। मानसिक रूप से बीमार, दूसरी ओर सामान्य विकास करते हैं मानसिक बीमारी किसी भी आयु में हो सकती है तथा यहाँ तक कि उच्च शिक्षित व्यक्तियों में भी होती है। मानसिक बीमारी का आमतौर पर इलाज किया जा सकता है।

2. क्या मानसिक मन्दन का उपचार किया जा सकता है ?

नहीं, मानसिक बाधा एक ऐसी दशा है, जिसका, इलाज नहीं किया जा सकता। वरन् समयबद्ध तथा उपयुक्त अन्तःक्षेप मानसिक रूप से बाधित व्यक्ति को विविध दक्षताएँ सीखने में सहायता कर सकता है।

3. क्या विवाह से मानसिक मन्दन की समस्याओं का समाधान हो सकता है ?

नहीं, अनेक व्यक्ति सोचते हैं कि विवाह के उपरांत, मानसिक रूप से बाधित व्यक्ति सक्रिय तथा जिम्मेदार हो जाएगा अथवा यौन तनावों की निष्पत्ति से व्यक्ति का इलाज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। विवाह से केवल समस्याएँ जटिल हो जाएँगी। जब यह ज्ञात है कि एक मानसिक रूप से बाधित व्यक्ति पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है, उसके लिए अपने परिवार की देखभाल करना सम्भव नहीं होगा।

4. क्या मानसिक रूप से बाधित व्यक्ति उम्र बढ़ने के साथ सामान्य हो जाते हैं ?

नहीं, मानसिक रूप से बाधित व्यक्ति का मानसिक विकास एक सामान्य मनुष्य मानसिक रूप से अपेक्षाकृत धीमा होता है। इसलिए, जब उनकी वास्तविक आयु समय के साथ बढ़ती है,

मानसिक विकास वास्तविक आयु के साथ समान गति से नहीं होता है। मानसिक रूप से बाधित व्यक्ति उम्र बढ़ने के साथ सामान्य नहीं हो सकते हैं, परन्तु गहन प्रशिक्षण से उनमें कुछ हद तक सुधार हो सकता है। शीघ्र प्रशिक्षण अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होता है।

5. क्या मानसिक बाधा एक संक्रमणशील बीमारी है ?

नहीं, अनेक व्यक्ति सोचते हैं कि मानसिक रूप से बीमार बालक के साथ सामान्य बालकों को मिलने, खाने अथवा खेलने की अनुमति देने से, सामान्य बालकों में भी मानसिक बाधा उत्पन्न हो जाएगी। यह गलत है। मानसिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालकों के बीच अन्तःक्रिया से, मानसिक रूप से बाधित बालक के विकास में सहायता मिलती है। सामान्य बालक, मानसिक रूप से बाधित बालकों की समस्याओं को समझेंगे तथा उन्हें स्वीकार करेंगे।

6. क्या यह सत्य है कि मानसिक रूप से बाधित व्यक्तियों को कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता है ?

नहीं, मानसिक रूप से बाधित व्यक्तियों को अनेक चीजें सिखायी जा सकती हैं। वे स्वयं की देखभाल करना सीख सकते हैं। वे पौधों को पानी देना, बीज बोना, पशुओं की देखभाल करना, फर्श की सफाई करना, बर्तन साफ करना तथा बोझा ढोना जैसे कार्य कर सकते हैं। मानसिक रूप से बाधित व्यक्तियों को व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पड़ती है। वे पर्यवेक्षण के तहत् अनेक कार्य कर सकते हैं।

7. क्या यह सत्य है कि मानसिक बाधा उनके भाग्य के कारण होती है इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता ?

नहीं, यह मान्यता कि मानसिक बाधा उनके भाग्य के कारण होती है। अभिभावकों की अपनी ग्लानि की भावनाओं से मुक्त करने में सहायता करती है। परन्तु इसमें विश्वास रखने तथा बालक को प्रशिक्षित करने के प्रयास नहीं करने तथा बालक को उसके भाग्य पर छोड़ देना सहीं नहीं है। अभिभावकों को बताया जाना चाहिए कि चाहे कुछ भी कारण रहे, बालक के प्रशिक्षण से उसमें सुधार होगा। जितनी शीघ्र प्रशिक्षण शुरू किया जाता है बालक में सुधार के अवसर उतने ही अधिक होते हैं।

अभिभावक परामर्श का सिद्धान्त

1. अभिभावक परामर्श मानसिक रूप से बाधित व्यक्ति के प्रबन्धन का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष होता है।

2. ईमानदारी, आश्वासन, प्रभावी सम्प्रेषण तथा भावात्मक स्थिरता एक अच्छे परामर्शदाता की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ होती हैं।

3. परामर्श के चरण होते है—मानसिक रूप से बाधित बालक की दशा के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करना, अपने अक्षम बालक हेतु सही दृष्टिकोण का विकास करने में अभिभावकों को सहायता करना तथा अपने मानसिक रूप से बीमार बालक के प्रशिक्षण में अपनी भूमिका के सम्बन्ध में अभिभावकों में जागरूकता उत्पन्न करना।

4. मानसिक रूप से बाधित बालक के बारे में अभिभावक कुछ सामान्य प्रश्न पूछते हैं तथा उनके उत्तर निम्नलिखित हैं।

4.4 अभिभावक समूह परामर्श

समूह परामर्श में समान समस्या वाले अभिभावकों के एक समूह में जानकारी तथा अनुभव के अनौपचरिक विनिमय से लेकर प्रशिक्षित परामर्शदाता द्वारा औपचारिक परामर्श आता है।

वैयक्तिक परामर्श की भाँति समूह परामर्श एक सहायक प्रक्रिया है। एक ऐसी परिस्थिति में जहाँ व्यक्तियों के बड़े समूह समान समस्याओं का सामना करते हैं, परामर्शदाता उनकी सहायता करने हेतु सफलतापूर्वक समूह परामर्श का उपयोग कर सकता है। यद्यपि, समूह परामर्श के सफल होने हेतु कुछ पूर्व आवश्यकताएँ आवश्यक होती हैं, जैसे वह अनुमन्य वातावरण जहाँ प्रत्येक व्यक्ति बिना संकोच के अपनी भावनाएँ अभिव्यक्त कर सकता है। एक समूह परामर्श के रूप में भी, इस तकनीक में सभी सदस्यों की सक्रिय सहभगिता एक आवश्यक शर्त होती है। इसके अतिरिक्त, परामर्श समूह के सभी सदस्यों को सम्पूर्ण परामर्श प्रक्रिया के दौरान, एक सक्रिय दृष्टिकोण सहित सावधान होने तथा रूचि लेने की आवश्यकता होती है। परामर्शदाता को परामर्श में विशेषज्ञता रखने, विश्वसनीयता, समानुभूति, गर्मजोशी, आत्म–प्रकटीकरण तथा समूह परामर्श में शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों सम्प्रेषण दक्षताओं के प्रभावी होने की आवश्यकता होती है।

समूह परामर्श में जैसा कि नाम दर्शाता है, दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। आमतौर पर, एक परामर्शदाता होता है तथा अन्य परामर्श प्राप्तकर्त्ता होते हैं।

समूह परिस्थिति में परामर्श, किसी समूह मार्गदर्शन परिस्थिति से उत्पन्न हो सकता है। (अ) व्यक्तियों की शैक्षिक–व्यावसायिक जानकारी, (आ) शैक्षिक स्थापनों से प्राथमिक सामंजस्य, (इ) नौकरी हेतु आवेदन करने के स्वीकृत तरीके, (ई) प्रतियोगितात्मक परीक्षा हेतु तैयारी करना, (उ) एक तुलनात्मक रूप से अधिक जटिल प्रकृति हेतु कुछ व्यक्तिगत–सामाजिक मुद्दों के सम्बन्ध में सामान्य शंकाओं से निपटने की प्रक्रिया को समूह मार्गदर्शन कार्य द्वारा अवलोकन किया जा सकता है।

समूह परामर्श के लाभ

1. समूह परामर्श अभिभावक को भावात्मक सहायता प्रदान करता है। वे भावनाओं तथा अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने में स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। वे यह भी जान पाते हैं कि उनके अतिरिक्त अन्य व्यक्ति भी हैं, जो समान समस्या से जूझ रहे हैं। समूह भिन्न परिदृश्य में अभिभावकों को अपनी समस्याओं को प्रस्तुत करने में सहायता करता है।
2. समूह में अभिभावक एक–दूसरे को शिक्षित करते हैं तथा वे अपने जैसे व्यक्तियों से प्राप्त जानकारी, सुझाव तथा परामर्श को अपेक्षाकृत अधिक ग्रहण करते हैं।
3. समूह उद्यम के परिणाम के रूप में क्रियाशीलता हेतु कार्यक्रमों के अधिक सफल रहने की सम्भावना रहती है।

समूह आकार

परामर्श हेतु चयनित समूह का आकार महत्त्वपूर्ण होता है। यद्यपि समूह में परामर्श प्राप्तकर्त्ताओं की संख्या के विषय में कोई निश्चित नियम नहीं है परन्तु इस बारे में अनुसंधान साक्ष्य उपलब्ध हैं कि जैसे–जैसे समूह का आकार बढ़ता है परामर्श प्रक्रिया क्षीणतर होती जाती है।

बैठने की व्यवस्था

एक द्वितीय व्यवस्था में बैठने वाले मुवक्किल उचित रूप से बोलने तथा प्रत्येक व्यक्ति को

सम्बोधित करने में सक्षम होते हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति को सुन सकते हैं तथा यहाँ तक कि आडियों रिकॉर्डिंग को भी अथवा परामर्श के दौरान उपयोग की जाने वाली वीडियों फिल्म को देख सकते हैं।

एक प्रक्रिया के रूप में समूह परामर्श

वैयक्तिक परामर्श की भाँति समूह परामर्श भी एक सहायक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से मुवक्किल अपनी समस्याओं को अधिक स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर सकता है तथा परिवर्तन के लक्ष्यों की पहचान कर सकता है तथा ऐसी दक्षताओं का विकास करना सीख सकता है, जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। समूह स्थिति परामर्श हेतु विशेष रूप से अनुकूल होती है क्योंकि समूह के अन्य सदस्यों का सहयोग तथा प्रोत्साहन भी परिवर्तन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की स्थिति में परामर्श प्राप्तकर्त्ता हेतु उपलब्ध होता है, तथा इसके साथ–साथ लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सफलता को मान्यता तथा सराहना मिलती है। इसके अतिरिक्त समूह के सदस्य, उनके द्वारा निश्चित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करने में समूह में अन्य सदस्यों की सहायता करना सीखते हैं। समूह परामर्श विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों हेतु लाभदायक होता है, जो अपने सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने हेतु नए व्यवहार पैटर्न सीखना चाहते है अथवा नए विकासात्मक कार्यों/ लक्ष्यों का सामना करते हैं, जिन्हें वे स्वयं नहीं कर सकते तथा पेशेवर की सहायता की आवश्यकता होती है। समूह परामर्श की प्रक्रिया में वैयक्तिक परामर्श के सोपान सम्मिलित होते हैं, परन्तु विशेष परामर्शदाता परामर्श में अपने उन्मुखीकरण तथा प्रशिक्षण के अनुसार इन चरणों का उपयोग करेंगें।

उदाहरणतः विद्यालयों में विद्यालय परामर्शदाताओं हेतु सभी चरणों में विद्यार्थियों के साथ समूह परामर्श का उपयोग करना अधिक व्यावहारिक होगा क्योंकि यह स्पष्ट है कि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की बड़ी संख्या के साथ वैयक्तिक परामर्श का उपयोग करना सम्भव नहीं है। समूह परामर्श को न केवल विद्यार्थियों के साथ उपयोग किया जा सकता है वरन् इसके साथ–साथ उन अभिभावकों के साथ भी उपयोग किया जा सकता है, जिन्हें अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए पेशेवर सहायता की आवश्यकता पड़ता है।

4.5 आनुवांशिकी विषयक परामर्श

यह वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा आनुवांशिक विसंगति के जोखिम वाले अभिभावकों अथवा सम्बन्धियों को विसंगति के परिणामों, इसके विकसित होने तथा संक्रमित होने की सम्भावना, तथा उन तरीकों जिनके माध्यम से इसका निवारण किया जा सकता है अथवा उन्मूलन किया जा सकता है, के विषय में सुझाव दिया जाता है। एक पैतृक विसंगति से प्रभावित होने के जोखिम वाले व्यक्ति हेतु आनुवांशिकी परामर्श तथा यह जानकारी प्रदान करना अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होता है। अतीत में यह व्यापक रूप से, परिवार में एक विशेष विसंगति के पुनरावर्तन जोखिमों के अवलोकन तथा पैतृकता के संवाहकों के ज्ञान पर निर्भर रहता था। वर्तमान अनुसंधानों ने परामर्श की शुद्वता तथा पूर्वसूचना, विशेष रूप से एकल–जीन विसंगतियों हेतु सुधार किया है। अनुवांशिकी परामर्श अनेक कारणों से प्राप्त किया जा सकता है परन्तु आमतौर पर ऐसे समय, जब एक संदिग्ध अनुवांशिकी विसंगति घटित हो चुकी है तथा परिवार के अन्य सदस्यों हेतु जोखिम की पहचान की आवश्यकता है। अन्य सामान्य जोखिम तत्त्वों के बारे में भी सरोकार हो सकते हैं जैसे कि माता की आयु अथवा चचेरे भाई–बहनों के बीच विवाह।

परामर्शदाता उपयुक्त क्रिया से सम्बन्धित एक प्रक्रिया निर्णय पर पहुँचने पर सहायता कर सकता है। ऐसे निर्णयों में विवाह करने, दूसरा बालक उत्पन्न करने, गर्भनिरोधक साधनों का उपयोग करने, बंध्याकरण कराने, एक दाता से कृत्रिम वीर्यरोपण कराने, गर्भवती महिला के

गर्भाशय की जाँच कराने अथवा एक चिकित्सात्मक गर्भपात कराना सम्मिलित हो सकता है। इस जानकारी, इसके निहितार्थों तथा सम्भव विकल्पों को समझकर, जानकारी हेतु भावनात्मक प्रतिक्रिया के कारण मुवक्किल के लिए निर्णय करने की प्रक्रिया का विस्तार विसंगति के पनपने के जोखिम वाले परिवार के अन्य सदस्यों तथा इससे प्रभावित बालकों तक हो सकता है। उपचार करने योग्य आनुवंशिक बीमारी वाले व्यक्तियों तथा गम्भीर आनुवंशिक बीमारियों वाले बालक होने के जोखिम वाले अभिभावकों की पहचान करने हेतु आनुंवशिक छंटनी कार्यक्रम, आनुवंशिक कार्यक्रमों का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व होता है।

दिव्याँग व्यक्तियों को उनकी विशेष शारीरिक, भावात्मक, अथवा संज्ञानात्मक अयोग्यताओं के कारण सामान्य जनसंख्या से अलग किया जाता रहा है। इस अलगाव का परिणाम लेबल लगाने, परम्परागत रूढ़ियों, तथा सीमित सेवाओं जैसे आंशिक रूप से, क्योंकि विद्यालय स्थापन में परामर्शदाताओं की मान्यता है कि इस विशेष जनसंख्या को सेवाएँ प्रदान करने हेतु उनके पास आवश्यक दक्षताओं अथवा प्रशिक्षण का अभाव है, के रूप में सामने आता है। यह सत्य है कि परामर्शदाताओं को उन योगदानकारी तत्त्वों हेतु, जिनके साथ अधिकांश बालक रहते हैं, संवेदनशीलता का विकास करने के लिए अक्षमताकारी दशाओं से सम्बन्धित कुछ जानकारी की आवश्यकता पड़ती है। यद्यपि इन व्यक्तियों के साथ परामर्श सम्बन्ध हेतु, किसी भी सहायक सम्बन्ध की आधारभूत दक्षताएँ तथा प्रक्रियाएँ समेकित होती हैं। उन्हें गर्मजोशी, समानुभूति, ईमानदारी तथा समझ की आवश्यकता होती है।

परामर्शदाता को निम्नलिखित दक्षताओं तथा तत्त्वों से परिचित होना चाहिएः

- दिव्याँगों हेतु कार्यक्रमों तथा सेवाओं से सम्बन्धित संघीय तथा राज्य विधान तथा दिशा निर्देश तथा स्थानीय नीतियां।
- अक्षम बालकों तथा उनके अभिभावकों के अधिकार, तथा अभिभावकों को आवश्यक दक्षताओं के बारे में सुझाव देना तथा उन्हें अपने अधिकारों का उपयोग कराने में सक्षम बनाना।
- वर्गीकरण, निदानात्मक उपकरणो तथा उनकी सीमाओं हेतु राज्य दिशा निर्देश तथा वह आवश्यक दक्षताएँ जो इन्हें अधिगम विशेषताओं तथा सुधार के सामान्य तत्त्वों से सम्बन्धित करती हैं।
- अनौपचरिक आँकलन प्रक्रियाएँ तथा इन्हें अक्षम व्यक्ति हेतु विशेष अधिगम रणनीतियों से सम्बन्धित करने वाली आवश्यक दक्षताएँ।
- दिव्याँग की उन्नति तथा विकास प्रक्रिया, विशेषताएँ तथा बाधाएँ, विकासात्मक अधिगम लक्ष्यों तथा रणनीतियों के ज्ञान से सम्बन्धित करने वाली आवश्यक दक्षताएँ।
- अधिगम की विशेषताएँ तथा विकास, तथा निदान करने वाली वह आवश्यक दक्षताएँ जो यह बताती हैं कि व्यक्ति लक्ष्यों में असफल क्यों है तथा आवश्यक पद्धतियों तथा उद्देश्यों में परिवर्तन करना।
- ऐन्द्रिक अक्षमताएँ, वाक–विसंगतिया, तथा सम्प्रेषण कमियाँ, निदान तथा उपचार पर उनके प्रभाव तथा अधिगम एवं परामर्श स्थापनों में उनके प्रभाव पर विजय पाने अथवा कम करने वाली आवश्यक दक्षताएँ।
- वैयक्तिक शैक्षिक कार्यक्रमों (IEP) के निवेश संरचना तथा सम्भावित परिणाम, तथा मुख्य

धारा विद्यार्थी के रूप में निर्माण हेतु सुझाव देने तथा सहायता करने हेतु आवश्यक दक्षताएँ।

- योग्यता, अधिगम दरें, तथा दिव्याँगों के अधिगम के प्रतिदर्श, तथा शैक्षिक नियोजनों तथा वातावरण की सिफारिश करने हेतु इन तत्त्वों का उपयोग करने लायक आवश्यक दक्षताएँ।
- अध्यापकों तथा अन्यों हेतु दृष्टिकोणात्मक पूर्वाग्रह, तथा एक सुगमताकारी अधिगम वातावरण निर्मित करने हेतु नियमित तथा विशेष अध्यापकों के साथ शिक्षण तथा सुझाव देने हेतु आवश्यक दक्षताएँ।
- दिव्याँग विद्यार्थियों की अधिगम विसंगतियां, सामाजिक तथा भावनात्मक व्यवहार समस्याएँ, तथा अध्यापकों के साथ निर्देश देने तथा परामर्श देने हेतु आवश्यक दक्षताएँ, अकादमिक अधिगम तथा सामाजिक व्यवहार में वृद्वि करने हेतु व्यवहार संशोधन तथा प्रबन्धन सिद्धान्तों का उपयोग करना।
- दिव्याँग बालक का सम्भावित विकास तथा उन्नति, अभिभावकों के डर, सरोकार, तथा आवश्यकताएँ तथा अपने बालक के अकादमिक तथा सामाजिक विकास का प्रवर्तन करने हेतु प्रतिदृश्यों के सम्बन्ध में अभिभावकों को परामर्श देने, तथा सुझाव देने, तथा शिक्षित करने हेतु आवश्यक दक्षताएँ।
- रोजगार दक्षताओं, से सम्बन्धित दिव्याँगों की विशेषताएँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सम्भावित व्यावसायिक एवं शैक्षिक अवसर, तथा कैरियर निर्णय करने तथा विकास हेतु व्यक्ति को सुझाव देने के लिए आवश्यक दक्षताएँ।
- संस्थान के अन्दर तथा बाहर अन्य कार्मिकों की भूमिकाएँ, तथा उन्हें रेफर करने अथवा दिव्याँग व्यक्ति के अधिगम एवं विकास में वृद्वि करने हेतु उनके साथ कार्य करने की आवश्यक दक्षताएँ।

बोध प्रश्न II

टिप्पणीः उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

1. एक प्रभावी परामर्शदाता हेतु कतिपय दक्षताएँ तथा विशेषताएँ कौन–सी होती हैं ?

   .....

   .....

   .....

   .....

2. आनुवांशिक परामर्श की अवधारणा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

   .....

   .....

   .....

   .....

4.6 सारांश

इस प्रकार परामर्श एक सहायक प्रक्रिया है। यह व्यक्तियों को अपनी वैयक्तिकता प्राप्त करने में सहायता करता है तथा उन्हें इस प्रकार स्वीकार करता है ''जैसे वे होते है''। इसके साथ, परामर्श व्यक्तियों को उनकी वैयक्तिक समस्याएँ तथा सामंजस्य की समस्याओं को समझने तथा उन पर विजय पाने में सहायता करता है। इस प्रकार परामर्श का मुख्य लक्ष्य व्यक्तियों को संसाधनपूर्ण बनाने हेतु उनकी वैयक्तिक उन्नति में संवर्धन करना होता है।

4.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें और संदर्भ

1. डॉ. सरोजा आर्य (1991): *नेशनल इंस्टीट्यूट फोर द मेन्टली हैंडीकैप्ड*, सिकन्दराबाद.
2. बी जी बार्की एंड बी मुखोपाध्याय (2003): ''*गाइडैन्स एंड काउंसिलिंग*–ए मैनुअल'' स्टर्लिगं पब्लिशर्स पाइवेट लिमिटेड, आइ एस बी एन 8120709446
3. एस नारायण राव, (2003) *काउंसिलिंग एंड गाइडैन्स सेकण्ड एडिशन*, टाटा मैक्ग्रा–हिल पब्लिशिंग कम्पनी लिमिटेड, न्यू डेल्ही.
4. लेरना आइडोल–मीयसटास (1983): *स्पेशल एजूकेटर्स कन्सलटेशन हैंडबुक*, एन एसपीयन पब्लिकेंशन लंदन.
5. मार्गों ए मास्टरोपीयरी थॉमस ई. स्क्रूग्स (1987): *इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन फोर स्पेशल एजूकेशन* ए कॉलेज हिल पब्लिकेशनस, बोस्टन.
6. मेन्टल रिटार्डएशन, *ए मैनुअल फॉर सायक्लोलिस्टस*, एन आइ एम एच पब्लिकेशन.
7. सी बी आर नेटवर्क (साउथ एशिया) सी बी आर नोटस–''पी जी डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहैलिलिएशन प्लानिंग एंड मैनेजमैंट''

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY